नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2014 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) नगर परिषद सुन्दरनगर में अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः–

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती गिरजा गौतम	1.4.2014 से 16.2.2016
2	श्रीमती पूनम शर्मा	17.2.2016 से अद्यतन

कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती उर्वशी वालिया	1.4.2014 से 31.3.2016

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र० सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं०	₹ (लाखों में)
1.	अनुदान की अनुपयुक्त राशि का शेष पाया जाना	6(ख)	1018.98
2.	गृहकर की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7(क)	154.09
3.	गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण वर्ष 2014–15 में परिषद को वित्तीय हानि	7(ख)	7.19
4.	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8(क)	25.81
5.	सुकेत शॉपिंग काम्पलैक्स में निर्मित 74 दुकानों को माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज न करना एवं न ही इन दुकानों के किराये की वसूली करना	8(ग)	विवरण पैरे में दिया गया है
6.	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने से परिषद को भारी वित्तीय हानि का होना	9	विवरण पैरे में दिया गया है

7.	अनुदान से निर्मित रेहन बसेरा भवन को पुलिस विभाग को देने पर उनसे अपेक्षित राशि की वसूली न करना	10	2.24
8.	नलवाड़ एवं देवता मेला समिति(2015) से राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11	1.67
9.	समान्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत 208 चयनित लाभार्थियों में से मात्र 137 लाभार्थियों द्वारा पक्का मकान तैयार करने बारे	12	विवरण पैरे में दिया गया है
10.	समान्वित मलिन बस्ती कार्यक्रम के डिपाजिट वर्क हेतु भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	13	49.87
11.	स्टील की मद में गलत फैक्टर लगाने के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान करना	18	0.09
12.	निर्माण कार्य मद हेतु अधिक भुगतान करना	19	0.35

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"I"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद सुन्दरनगर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री चन्द्रेश हाण्डा (सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा) व श्री विपुल सूद, (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 16.4.2016 से 29.6.2016 के दौरान नगर परिषद सुन्दरनगर के कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2014 व 9/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2015 व 5/2015 के लेखाओं का चयन किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया हैं। परिषद द्वारा प्रदान की

गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद सुन्दरनगर, के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹69,000 (उनहत्तर हजार रुपये) किया गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर से सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः फिन–एल०ए०(एस०एम०)/783, दिनांक 28.6.2016 द्वारा आग्रह किया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 170388, दिनांक 14.7.2016 के माध्यम से भेज दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद सुन्दरनगर, द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही है। वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"II"** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज	अनुदान	अपने स्त्रोतों से आय	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2014–15	11,51,58,279.97	46,52,891	6,26,75,433	69,05,507	18,93,92,110.97	6,86,37,718.00	12,07,54,392.97
2015–16	12,07,54,392.97	52,48,896	7,24,27,510	1,86,43,818	21,70,74,616.97	7,04,37,628.90	14,66,36,988.07

(ख) बैंक समाधान विवरणी परिशिष्ट–"II(A)"

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष		**14,66,36,988.07**
जमा	गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर की राशि (अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2011)	(+) 34,51,189.82
जमा	गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर की राशि (अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014)	(+) 4,15,623.42
जमा	दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में भुगतान हेतु जारी किए गए चैक परन्तु बैंक से घटाये नहीं गए।	(+) 4,91,188.00
जमा	दिनांक 31.3.2016 को सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की ₹3,55,685, लेकिन रोकड़ बही में ₹4,60,786 दर्ज की गई	(+) 1,05,101
माईनस	दिनांक 31.3.2016 को प्राप्त आय बैंक में दिनांक 1.4.2016 को जमा हुई	(–) 1,52,358.00
	कुल योग	**15,09,47,732.31**
	बैंक में राशि परिशिष्ट–"II(B)"	**15,13,82,347.05**
	शुद्ध अन्तर	**4,34,614.74**

अतः रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.3.2016 को पाए गए अन्तर की ₹4,34,614.74 का मिलान नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि संस्था द्वारा रोकड़ बही का माहवार समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 4.1 व 4.4 के अनुसार क्रमशः दिनांक 31.3.2011 तक के लेखों में ₹34,51,189.82 व दिनांक 31.3.2014 तक के लेखों में ₹4,15,623.42 के अन्तर के समाधान बारे आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन परिषद द्वारा अभी तक इस सन्दर्भ में भी कोई कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त अन्तर की राशियों का शीघ्र समाधान किया जाए।

5 सावधि जमा

नगर परिषद सुन्दरनगर के खाते में दिनांक 31.3.2016 तक ₹20,71,835 सावधि जमा में निवेशित हैं जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"III"** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ज्यादातर राशियां बचत खातों में जमा शेष थी तथा जिन पर नाम मात्र ही साधारण ब्याज अर्जित हो रहा है। अतः परिषद की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा नगर परिषद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक्कय राशियों को सावधिक जमा में निवेशित करके ज्यादा ब्याज अर्जित किया जाए।

6 अनुदान

(क) नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"IV"** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	कुल जमा राशि	व्यय	अन्तशेष राशि
2014–15	7,81,85,535	6,26,75,433	14,08,60,968	5,47,61,570	8,60,99,398
2015–16	8,60,99,398	7,24,27,510	15,85,26,908	5,66,28,936	10,18,97,972

(ख) अनुदान की अनुपयुक्त ₹1018.98 लाख का शेष पाया जाना

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान की राशि में से दिनांक 31.3.2016 को ₹10,18,97,972 अनुपयुक्त शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियां निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन राशियों को समयबध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इन अनुपयुक्त राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात

उन्हीं उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उद्देश्यों हेतु यह प्राप्त की गई है अन्यथा इन राशियों का प्रर्त्यापण सम्बन्धित विभाग को किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) गृहकर की बकाया ₹154.09 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

दिनांक 31.3.2016 तक गृहकर दाताओं से ₹1,54,08,956 की वसूली की जानी अपेक्षित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"V"** में दिया गया है। नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा गृहकर की बकाया ₹1,54,08,956 की वसूली करने के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जोकि चिन्ता का विषय है। अतः गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि परिषद के विकास कार्य सुचारू रूप से निष्पादित किया जा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में गृहकर की मांग नहीं की है जिस बारे में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा गृहकर का संशोधन किया जा रहा है। अतः वर्ष 2015–16 की गृहकर की संशोधित मांग बारे आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण वर्ष 2014–15 में परिषद को ₹7.19 लाख की वित्तीय हानि का होना

अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में गृहकर वर्ष 2014–15 तक 10% की दर से वसूल किया जा रहा था जबकि सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0एच0सी0(10)–2/2002, दिनांक 24.9.2003 द्वारा व शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्याः यू0डी0एच0सी0(10)–7/96–II, दिनांक 12.11.2003 द्वारा 12.5% की दर से गृहकर लिया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा 10% की दर से ही गृहकर लिया गया था, जिसके कारण नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा वर्ष 2014–15 में कुल 10% की दर से ₹28,77,598 की माँग की गई, जबकि गृहकर की 12½% की दर से ₹35,96,998 की माँग की जानी चाहिए थी। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा गृहकर की (35,96,998–28,77,598=₹7,19,400) की कम माँग की गई। अतः परिषद सरकार द्वारा निर्धारित दर से गृहकर का अधिरोपण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8 दुकानों के किराये की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं
(क) दुकानों के किराये की बकाया ₹25.81 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

किराया मांग व संग्रह रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹25,81,233 की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"VI"** में दर्शाया गया है। परिषद द्वारा दुकानों के मासिक किराये की नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं किए जा रहे है, जोकि अत्यन्त चिंता का विषय है। अतः मासिक आधार पर किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु अतिशीघ्र नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89(1) में विर्निदिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ख) नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये के लम्बित अन्तिम शेष की ₹29,790 के आगे न लिए जाने के सन्दर्भ में

नगर परिषद के दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में लम्बित किराये के अन्तशेष की ₹29,790 को आगामी वर्ष में प्रारम्भिक शेष के रूप में नहीं दर्शाया गया। अतः इस सन्दर्भ में किराये के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का उचित रख–रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस लम्बित किराये की राशि को शीघ्र माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज किया जाए एवं वास्तुस्थिति एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	किरायेदार का विवरण	माँग एवं संग्रहण रजिस्टर अनुसार लम्बित अन्तशेष	लम्बित अन्तशेष जो आगे ले जाया गया	किराया प्रति मास	कम लम्बित अन्तशेष (जो आगे ले जाया गया)	माँग व संग्रहण रजिस्टर पृष्ठ संख्या
	2014–15					
A	**हस्पताल चौक**					
1.	उतम चन्द, सुपुत्र साजू राम गांव मसोग	2,196	–	183	2,196	2
2.	गुलाबा राम, सुपुत्र खजाना राम गांव पुंज	3,996	–	333	3,996	2
B	**शोपिंग काम्पलैक्स, भोजपुर**					
3.	वीरेन्द्र सूद	1,500	–	1,500	1,500	4
4.	सतनाम सिंह, पुराना बाजार, सुन्दरनगर	5,600	–	1,300	5,600	4
5.	सुख राम, सुपुत्र हिम्मत राम, गांव छत्र, सुन्दनगर	रजिस्टर में केवल प्राप्त किराये का विवरण दिया गया है एवं किराये को माँग, आरम्भिक शेष, किराये की दर एवं अन्तशष का विवरण नहीं। (वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 दोनों वर्ष)				5

C	**न्यू बस स्टैण्ड**					
6.	अश्वनी कुमार, सुपुत्र बरकत राम, भोजपुर	5,808	–	484	5,808	6
	2015–16					
7.	सतनाम सिंह, पुराना बाजार	10,600	–	1,300	10,600	16
8.	राकेश कुमार, सुपुत्र दीना नाथ, गांव दरेड़ू, डाकघर कपाही	6,169	61,579	1,075	90	24
					योग	**29,790**

(ग) सुकेत शॉपिंग काम्पलैक्स में निर्मित 74 दुकानों को माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज न करना एवं न ही इन दुकानों के किराये की वसूली करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई मौखिक सूचना के अनुसार सुकेत शॉपिंग काम्पलैक्स में नगर परिषद द्वारा 74 दुकानों का निर्माण करवाया गया है एवं अंकेक्षण में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि इन दुकानों का आबंटन परिषद द्वारा दिनांक 17.8.2012 को प्रारम्भ कर दिया गया था तथा परिषद द्वारा दुकानदारों से प्रतिभूति की राशि भी प्राप्त कर ली गई थी, किन्तु परिषद द्वारा इन दुकानों का विवरण न तो किराये के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज किया गया है एवं न ही इन दुकानों के आबंटियों से परिषद द्वारा मासिक किराया प्राप्त किया जा रहा है। अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2014 के पैरा संख्याः 7.2 के अन्तर्गत भी यह मामला नगर परिषद अधिकारियों एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया गया था, किन्तु परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में वर्तमान अंकेक्षण तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को इन दुकानों के बकाया लम्बित किराये से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में कुल लम्बित बकाया किराये की गणना वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन 74 दुकानों के किराये के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में दर्ज न करने एवं इनके बकाया लम्बित किराये की वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त यह मामला पुनः नगर परिषद एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, ताकि इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके, जिससे परिषद क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान की जा सके।

(घ) नगर परिषद, सुन्दरनगर द्वारा दुकानों का किराया कम करने के कारण हुई हानि के सन्दर्भ में

नगर परिषद के दुकानों के किराये से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार कुछ मामलों में दुकानों के मासिक किराये में वर्ष 2011–12 से कमी कर दी गई थी, जिस कारण परिषद को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में ₹30,720 की वित्तीय हानि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक परिषद को कुल ₹1,42,500 की वित्तीय हानि हुई है, जिसका सम्पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2014 के

पैरा संख्या 7.1 में दिया गया है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार दुकानों के किराये में कमी करने के उक्त प्रकरण को अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के उपरान्त भी परिषद अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न करना उनकी कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है, जिस बारे में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच की जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	दुकान सं०	किरायेदार का नाम	वर्ष 2010–11 में निर्धारित किराया	वर्ष 2014–15 में निर्धारित किराया मासिक	वर्ष 2014–15 में प्राप्त कम किराया मासिक	वर्ष 2014–15 में प्राप्त कुल कम राशि	वर्ष 2015–16 में निर्धारित किराया मासिक	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कम किराया मासिक	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कुल कम राशि	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कम राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+10
1	48	प्रदीप कुमार, सुपुत्र सोजू राम अस्पताल चौक सुन्दरनगर	800	400	400	4800	440	360	4320	9120
2	49	परमानन्द सुपुत्र सोजू राम अस्पताल चौक सुन्दरनगर	800	400	400	4800	440	360	4320	9120
3	50	रमेश कुमार, सुपुत्र बलि राम अस्पताल चौक सुन्दरनगर	800	400	400	4800	440	360	4320	9120
4	51	सन्त राम, सुपुत्र तराहडू राम सुन्दरनगर	800	400	400	4800	440	360	4320	9120
									योग	**36480**

नोट : वर्ष 2014–15 के बकाया अन्तशेष में ₹1,440 प्रति किरायेदार में बढ़ौतरी की गई थी जिस कारण कुल कम प्राप्त ₹36,480 से कम होकर ₹30,720 (36,480–5,760) निम्न विवरण अनुसार रह गई है।
अन्तशेष में बढ़ौतरी x किराये दारों की संख्या (1440 x 4 = 5760)

(ड़) नगर परिषद द्वारा आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत निर्मित 14 दुकानों के किराये की वसूली न करना एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में

नगर परिषद, सुन्दरनगर द्वारा समन्वित आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत परिषद के वार्ड नम्बर 8 में 14 दुकानों का निर्माण किया गया था एवं उन्हें किराये पर देने हेतु नगर परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव संख्याः 23/2015, दिनांक 29.5.2015 द्वारा घरातल मंजिल का किराया ₹2000 प्रति माह एवं प्रथम मंजिल का किराया ₹1500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया। तदोपरान्त परिषद द्वारा पत्र संख्याः न0परि0सु0न0/2015–1371–76, दिनांक 22.6.2015 द्वारा इस हेतु नीलामी की सूचना दी गई, जिसके अनुसार दुकानों की नीलामी दिनांक 4.7.2015 को रखी गई थी एवं निर्धारित दिनांक को नीलामी के उपरान्त दुकानों का आबंटन कर दिया गया। परिषद द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित

नीलामी की सूचना को शर्त संख्याः 8 अनुसार ''आबंटन के 30 दिन के भीतर–भीतर पांच साल का किराया एक मुश्त जमा करवाना होगा तथा पट्टा विलेख नगर परिषद के साथ हस्ताक्षरित करना होगा, उसके उपरान्त ही दुकान का कब्जा दिया जाएगा। ऐसा न करने की दशा में आबंटित दुकानें बिना किसी सूचना दिए रद्द समझी जाएगी और जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।'' इस प्रकार नीलामी की सूचना की शर्त संख्याः 8 के अनुसार आबंटितों (Allottee) द्वारा नीलामी के तीस दिन के भीतर अनुबन्ध करना एवं एक मुश्त पांच वर्ष का किराया जमा करवाया जाना अपेक्षित था, जिसके न होने की अवस्था में आबंटन अपने आप निरस्त समझा जाना था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त 14 दुकानों के आबंटियों (Allottees) में से मात्र दुकान संख्याः 1 आबन्टी का अनुबन्ध अभिलेख में उपलब्ध था एवं दुकान संख्याः 11 के आबन्टी (Allottee) द्वारा पांच साल का किराया एक मुश्त जमा करवाया गया था। इससे स्पष्ट है कि आबंटियों (Allottees) द्वारा नीलामी की सूचना के अनुसार उक्त शर्त को पूरा नहीं किया गया था, जिसके अभाव में दुकानों का आबंटन स्वतः ही रद्द समझा जाना था तथापि परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जोकि नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमों के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है, जिस बारे स्पष्टीकरण देते हुए अविलम्ब इन सभी किरायेदारों से अनुबन्ध किए जाएं एवं पांच वर्ष का एक मुश्त किराया प्राप्त किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि नीलामी के 30 दिनों के भीतर किरायेदार को कब्जा देकर उससे किराये की वसूली प्रारम्भ की जानी थी, किन्तु परिषद द्वारा उक्त शर्त की अवहेलना करके किरायेदारों से किराया माह अगस्त, 2015 से वसूले जाने के स्थान पर माह नवम्बर, 2015 से वसूलने हेतु पत्र संख्याः एम0सी0सु0न0/2015–3114–29, दिनांक 13.10.2015 जारी किया गया था एवं इस प्रकार परिषद को परोक्ष रूप से निम्न विवरणानुसार ₹73,500 की वित्तीय हानि पहुंचाई गई है, जिस बारे में भी स्पष्टीकरण देते हुए इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है।

	किराया राशि	**माह**	**दुकानों की संख्या**	**योग**
घरातल	2000	3	7	42000
प्रथम तल	1500	3	7	31500
			योग	**73500**

9 मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने से परिषद को भारी वित्तीय हानि का होना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः DIT-DEV-IT(2005)Misc, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर कम्पनियों से ₹10,000 स्थापना शुल्क प्रति टावर व ₹5,000 नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष/प्रति टावर की दर से वसूली करनी अपेक्षित थी, तथा टावर की

स्थापना के पांच वर्ष बाद नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी करके वसूली करनी अपेक्षित थी, लेकिन परिषद द्वारा मोबाईल टावर की वसूली हेतु न तो कोई पत्राचार किया गया और न ही इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख तैयार किया है। इस बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011 के पैरा 7.2 द्वारा भी नगर परिषद सुन्दरनगर को अपेक्षित वसूली करने हेतु अवगत करवाया गया था, लेकिन मोबाईल टावरों के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क हेतु न तो कोई मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर खोला गया और न ही कोई पत्राचार किया गया है। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने तथा अपेक्षित राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करके उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के दृष्टिगत गत वर्षों से अपेक्षित वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा उक्त अनियमितता से संस्था को हुई हानि का निर्धारण करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

10 अनुदान से निर्मित रेहन बसेरा भवन को पुलिस विभाग को देने पर उनसे अपेक्षित ₹2.24 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा 5/2005 में अनुदान से प्राप्त ₹12.45 लाख से रैहन बसेरा का निर्माण किया। अनुदान की शर्तों में रैहन बसेरा गरीब राहगीर/मुसाफिरों को आश्रय देने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्याः 119/2013, दिनांक 1.11.2013 के अनुसार यह भवन अस्थाई तौर पर पुलिस विभाग को इस शर्त के साथ सौंपा कि यदि पुलिस विभाग एक वर्ष तक भवन को खाली नहीं करता तो उनके द्वारा माहवार ₹7,000 का किराया नगर परिषद को पुलिस विभाग देगा। यह भवन अंकेक्षण समाप्ति माह 6/2016 तक पुलिस विभाग द्वारा खाली नहीं किया और न ही नगर परिषद द्वारा माह 11/2013 से 6/2016 तक किराये के रूप कुल ₹2,24,000 (32 माह x ₹7,000) प्राप्त की गई जिसकी वसूली करनी शेष है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा बिजली के बिल की ₹2.16 लाख का भुगतान करना भी शेष है, जिसे उक्त विभाग द्वारा अदा नही कर रहा है। अतः उपरोक्त वसूलियां पूर्ण करें व रैहन बसेरा खाली करवाकर भवन का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था।

11 नलवाड़ एवं देवता मेला (2015) समिति से ₹1.67 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा नलवाड़ एवं देवता मेला 2015 के आयोजन हेतु अपनी निधि से कुल ₹357196 का व्यय किया गया। इस व्यय की प्रतिपूर्ति अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला समिति द्वारा की जानी थी। नगर परिषद के पत्र संख्याः 1324, दिनांक 2.4.2015 द्वारा अध्यक्ष मेला समिति से इस राशि की मांग की गई, परन्तु इस राशि में से मात्र ₹1.90 लाख अध्यक्ष मेला समिति से जी–8 संख्याः 19525/196 द्वारा प्राप्त हुई व शेष (3,57,196–1,90,000=₹1,67,196) की

वसूली हेतु शेष थी। अतः शेष ₹1,67,196 की वसूली अध्यक्ष, मेला समिति सुन्दरनगर से अतिशीघ्र की जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

12 समान्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत 208 चयनित लाभार्थियों में से मात्र 137 लाभार्थियों द्वारा पक्का मकान तैयार करने बारे

नगर परिषद सुन्दरनगर को समन्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत चैक संख्याः 018484 माह 2/12 द्वारा ₹3,31,61,000 केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा चैक संख्याः 019694, दिनांक 9.5.2012 द्वारा ₹1,43,19,000 अर्थात कुल (₹3,31,61,000 + ₹1,43,19,000= ₹4,74,80,000) प्राप्त हुई थी। उपरोक्त राशि में से शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा मलिन बस्ती में पक्के मकान बनाने के लिए सुन्दरनगर के विभिन्न वार्डों से 208 लाभार्थियों को इस हेतु चुना गया था व प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,20,730 की स्वीकृति प्रदान की गई जोकि चार किस्तों में मकान के निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान की जानी अपेक्षित थी। लाभार्थियों द्वारा किस्तें प्राप्त करके निष्पादित कार्य की प्रगति निम्न प्रकार से है :–

	प्रथम किस्त ₹36,219 प्रत्येक	**दुसरी किस्त ₹36,219 प्रत्येक**	**तीसरी किस्त ₹30,000 प्रत्येक**	**चौथी व अन्तिम किस्त ₹18,292 प्रत्येक**
208 में से जितने लाभार्थियों को किस्त प्रदान की गई	208	197	181	137
जितने लाभार्थियों ने कार्य पूर्ण नहीं किया		11	27	71

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि 208 लाभार्थियों में से केवल 137 लाभार्थियों द्वारा पक्का मकान तैयार किया गया व शेष 71 द्वारा लम्बे समय के पश्चात भी पक्का मकान तैयार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 11 लाभार्थियों द्वारा तो प्रथम किस्त की ₹36,219 प्राप्त करके कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना द्वारा नगर परिषद से उठाया गया था तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर व चर्चा के दौरान यह बताया कि चूककर्ता/लाभार्थियों के विरूद्ध सरकारी निर्देशों के अनुरूप ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि चूककर्ता के विरूद्ध सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाते हुए कार्य को पूर्ण करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 समान्वित मलिन बस्ती कार्यक्रम के डिपाजिट वर्क हेतु भुगतान की गई ₹49.87 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

समन्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, सुन्दरनगर को डिपोजिट कार्य "Providing and fixing street

light-Points in Slum area of Sundernagar town" हेतु दिनांक 23.9.2013 को ₹49,86,800 भुगतान की गई, परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया है। अतः उक्त कार्य को पूर्ण करवाकर व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपेक्षित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने सुनिश्चित किया जाए।

14 विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों में से काटे गए लेबर सैस की ₹5.11 लाख जमा न करने बारे

अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों से बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कस वैल्फेयर सैस एक्ट 1996 (Building and other Construction Workers Cess Act 1996) के अनुरूप में 1% की दर से ₹5,11,007 की कटौती की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"VII"** में दिया गया है, परन्तु उक्त राशि को काटकर सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार यह राशि निम्न सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए। अतः उक्त अनियमितता परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

15 नियमों की अनदेखी करके प्रतिभूति की ₹1.20 लाख का अनियमित भुगतान करना

वर्ष 2010 में मैं0 टैकनिक फैब्रीकेशन, मौहाली से कन्टेनर की खरीद व गाडियों की फैब्रीकेशन का कार्य करवाया गया था तथा फर्म द्वारा दिनांक 27.10.2010 को जमा करवाई गई प्रतिभूति ₹1,20,000 नगर परिषद के खाते में मई 2014 जमा पड़ी थी। केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के नियम 21.7 के अनुसार यदि प्रतिभूति की राशि तीन वर्ष तक पड़ी रहे तो यह राशि जब्त (Forfeit) करके राजस्व प्राप्ति के रूप में विभाग (नगर परिषद) के स्वः स्त्रोत खाते में जमा की जानी अपेक्षित थी, लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त नियमों की अनदेखी करके दिनांक 21.5.2014 को अर्थात 3 वर्ष 7 माह के बाद यह राशि फर्म को भुगतान की गई, जोकि उपरोक्त नियमानुसार अनियमित है। अतः अनियमित रूप से भुगतान की ₹1,20,000 बारे औचितय स्पष्ट किया जाए।

16 प्रतिभूति की ₹0.14 लाख को जब्त (Forefeit) न करने बारे

निर्माण कार्य "Repair & restoration of road from old bus stand to balancing reservoir" संविदाकार को पत्र संख्याः 1198, दिनांक 10.4.2015 द्वारा ₹5,86,647 (7.06% above schedule 2009) का आबंटित किया गया। इस कार्य हेतु संविदाकार द्वारा (Earnest Money) की ₹13,700 की एफ0डी0आर0 के रूप में नगर परिषद के पास जमा कराया परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद ठेकेदार के अनुरोध पर यह कार्य निरस्त कर दिया गया, लेकिन Earnest Money को न तो जब्त किया गया और न ही अंकेक्षण समाप्ति तक इसका भुगतान किया गया। अतः इस सन्दर्भ में

नियमानुसार कार्रवाई करके Earnest Money की ₹13,700 को जब्त करके नगर परिषद के स्वः स्त्रोत खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

17 निर्माण कार्य में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में कार्य करवाने पर विचलन की राशि का स्वीकृति के बिना भुगतान करना

निर्माण कार्य "C/o Parking at Sunder Nagar" का छठा व अन्तिम बिल माप पुस्तिका 140 पृष्ठ के अनुसार कुल लागत ₹46,28,458 में पूर्ण हुआ। सम्बन्धित बिल की पड़ताल में पाया गया कि कुछ कार्य मदों का निष्पादन निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया, जबकि निष्पादन के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य थी। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में अनुबन्ध में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा का कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

क्र० सं०	संक्षिप्त मद	अनुबन्ध मात्रा	निष्पादित मात्रा	अधिक मात्रा	दर	कुल	प्रतिशतता अधिक
1.	Cutting in earth work	789-78 cum	1162-27 cum	372-49 cum	126	146446	47%
2.	Excavation	515-54 cum	645-24 cum	129-70 cum	162	104529	25%
3.	P.L.C.C 1:4:8	38-65 cum	66-20 cum	27-55 cum	2200	145640	71%
4.	P.L.C.C. 1:2:4 b column	13-14 cum	43-68 cum	30-54 cum	3344	146066	232%
5.	Duro tiles	381 sqm	462-32 sqm	81-32 sqm	980	453074	21%
6.	Plastic emulsion	771-19 sqm	1218-12 sqm	446-93 sqm	50	60906	58%

18 स्टील की मद में गलत फैक्टर लगाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना

(क) निर्माण कार्य "C/o Drain at Ambedkar Nagar from Sant Ram House" हेतु माप पुस्तिका 145 पृष्ठ 68 में 24.90 RMT (50 x 50 x 5 Angle) का फैक्टर 4.50 किलो प्रति RMT लगाकर भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार 50 x 50 x 5 Angle का फैक्टर 3.80 किलो प्रति RMT है। इस प्रकार गलत फैक्टर लगाने के कारण 17.43 किलो स्टील (24.90 x 0.70 Kg RMT) का अधिक भुगतान किया गया। इसी प्रकार 31.70 RMT (40 x 40 x 5 Angle) का फैक्टर 3.50 किलो प्रति RMT लगाकर भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार 40 x 40 x 5 Angle का फैक्टर 3.00 किलो

प्रति RMT है। इस प्रकार गलत फैक्टर लगाने के कारण 15.85 किलो स्टील (31.70 x 0.50 Kg Rmt) का अधिक भुगतान किया गया। अतः कुल 17.43 किलो + 15.85 किलो = 33.28 किलो स्टील का ₹79 प्रति किलो की दर से कुल ₹2629 का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया।

(ख) निर्माण कार्य "C/o path from Bhojpur to Nand Pal house" हेतु माप पुस्तिका 145 पृष्ठ 62 में 107.50 Rmt लगाकर भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार 50 x 50 x5 एंगल का फैक्टर 3.80 किलो प्रति Rmt है। इस प्रकार गलत फैक्टर लगाने के कारण 75.25 किलो स्टील (107.50 x 0.70 Kg Rmt) ₹79.50 प्रति किलो से कुल ₹5,982 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त (क+ख) के अन्तर्गत ₹2629 + ₹5,982 = ₹8,611 के अधिक भुगतान बारे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, सुन्दरनगर को अंकेक्षण अधियाचना द्वारा अवगत करवाया गया था तथा नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अपेक्षित राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे नगर परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निर्माण कार्य मद हेतु ₹0.35 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के सड़क निर्माण कार्यों के अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में सड़क निर्माण हेतु सड़क के तल की सफाई हेतु निम्न मदों का भुगतान किया गया।

मद संख्याः 2 (संक्षिप्त) "Preparation of surface by brushing with wire brush for remaning caked mud etc".

मद संख्याः 3 (संक्षिप्त) "Prov/applying primary coat with bitumen in prepared surface including cleaning the road"

ज्यादाकर सड़क निर्माण हेतु केवल मद 3 का भुगतान किया गया क्योंकि मद 3 में मद 2 भी सम्मिलित है लेकिन निम्न प्रकरणों में मद 3 के साथ–साथ मद 2 का भी संविदाकार को भुगतान किया गया है।

माप पुस्तिका	मद 2 का अतिरिक्त भुगतान	दर प्रति 10 sqm	अधिक भुगतान
147/7	552.22 Sqm	65	3589
146/21	1387.40 Sqm	65	9018
145/2	3523.92 Sqm	65	22905
		कुल अधिक भुगतान	**35,512**

यह मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना द्वारा उचित कार्यवाही हेतु लाया था जिसके प्रत्युतर में नगर परिषद द्वारा सूचित किया गया कि अपेक्षित राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे नगर परिषद के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

20 नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा पारिवारिक पैन्शनर को ₹1.59 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के पैन्शन से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा श्रीमती प्रेम लता पत्नी स्र्व0 श्री ईतवारी, चालक पैन्शनर को ₹1,58,591 का अधिक भुगतान किया गया है। श्री ईतवारी, चालक दिनांक 30.11.2000 को सेवानिवृत हुए तथा उनकी निम्न पैन्शन निर्धारित हुई।

पैन्शन	F.P.-I	F.P.-II
₹2113	₹2113	₹1692

श्री ईतवारी का दिनांक 8.12.2011 को स्वर्गवास हो गया तथा उनकी पत्नी को दिनांक 1.12. 2007 (पति की सेवानिवृति के सात वर्ष बाद) से **F.P.-II ₹1692** जिसका संशोधन ₹3825 बनता है देय था, लेकिन पारिवारिक पैन्शन 1.12.2007 के बाद भी **F.P.-I** के अनुसार ₹2113 जिसके संशोधन की ₹4777 बनती थी, का भुगतान किया जा रहा है। जिस कारण **परिशिष्ट–"VIII"** के अनुसार ₹1,58,591 का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में उनको अंकेक्षण अधियाचना के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा मासिक पारिवारिक पैन्शन तो उपरोक्त के अनुसार कम कर दी है परन्तु ₹1,58,591 की वसूली की जानी शेष है। अतः ₹1,58,591 की वसूली करके अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

21 नगर परिषद सुन्दरनगर में पड़े सामान का उचित रख–रखाव न करने बारे

जाँच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा क्रय किए सामान की विभिन्न मदों भोग्य (Consumable) एवं अभोग्य (Non-Consumable) की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर की गई है जोकि अनियमित है, क्योंकि नियमानुसार प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग खाता खोला जाना तथा अलग–अलग पृष्ठ पर प्रविष्टि करके उन मदों का अन्तशेष निकाला जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि किसी निश्चित तिथि को स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येक मद की कितनी मात्रा उपलब्ध है। अतः स्टॉक में लेखा भोग्य (Consumable) एवं अभोग्य (Non-Consumable) का अलग–अलग अनुरक्षण न करने व खातों का मदवार अन्तशेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण अब नियमानुसार किया जाए व भण्डार रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

22 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद में स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा

15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें तथा भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापना करवानी सुनिश्चित की जाए।

23 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 निष्कर्ष :– लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः V(46)/2011-फिन(एल0ए0)–खण्ड–5 –6315–6316 दिनांकः 30.11.2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट– "I"

(पैरा संख्याः 1(ग)

नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1989

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 12	अनिर्णीत
10.	पैरा 13(ए)(i)	अनिर्णीत
11.	पैरा 13(ए)(ii)	अनिर्णीत
12.	पैरा 13(ए)(iii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 13(बी)(i)	अनिर्णीत
14.	पैरा 13(बी)(ii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 13(बी)(iii)	अनिर्णीत
16.	पैरा 13(ई)(ii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
18.	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
19.	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
20.	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
21.	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
22.	पैरा 14(एफ)	अनिर्णीत

23.	पैरा 14(जी)	अनिर्णीत
24.	पैरा 14(एच)	अनिर्णीत
25.	पैरा 19	अनिर्णीत
26.	पैरा 22	अनिर्णीत
27.	पैरा 23	अनिर्णीत
28.	पैरा 24	अनिर्णीत
29.	पैरा 25	अनिर्णीत
30.	पैरा 26	अनिर्णीत
31.	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1990

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 10(iii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 10(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 10(v)	अनिर्णीत
13.	पैरा 10(viii)(ए)	अनिर्णीत
14.	पैरा 10(viii)(बी)	अनिर्णीत
15.	पैरा 10(x)	अनिर्णीत
16.	पैरा 10(xii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 10(xii)(2)	अनिर्णीत
18.	पैरा 10(xiii)(3)	अनिर्णीत
19.	पैरा 10(xiv)	अनिर्णीत
20.	पैरा 10(xv)	अनिर्णीत
21.	पैरा 10(xvi)	अनिर्णीत

22.	पैरा 10(xvii)	अनिर्णीत
23.	पैरा 10(xx)	अनिर्णीत
24.	पैरा 10(xxi)	अनिर्णीत
25.	पैरा 10(xxii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
27.	पैरा 11(iii)	आंशिक निर्णीत
28.	पैरा 11(iv)	अनिर्णीत
29.	पैरा 11(v)	अनिर्णीत
30.	पैरा 11(vi)	अनिर्णीत
31.	पैरा 11(vii)	अनिर्णीत
32.	पैरा 11(viii)	अनिर्णीत
33.	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
34.	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
35.	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत
36.	पैरा 12(xiii)	अनिर्णीत
37.	पैरा 12(xv)	अनिर्णीत
38.	पैरा 12(xvi)(2)	अनिर्णीत
39.	पैरा 12(xvi)(3)	अनिर्णीत
40.	पैरा 12(xvi)(4)	अनिर्णीत
41.	पैरा 12(xviii)	अनिर्णीत
42.	पैरा 16(i)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

अवधि 4/1990 से 3/1991 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

अवधि 4/1991 से 3/1992 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993

1.	पैरा 3	अनिर्णीत	
2.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	(₹10,000.adv. Sh. Jagdish Gupta, Retd. E.O.)
5.	पैरा 13(च)	अनिर्णीत	

6.	पैरा 13(छ)	अनिर्णीत
7.	पैरा 13(ज)	अनिर्णीत
8.	पैरा 13(झ)	अनिर्णीत
9.	पैरा 13(ञ)	आंशिक निर्णीत
10.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत
12.	पैरा 14(ग)(i)	अनिर्णीत
13.	पैरा 14(ग)(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 14(ग)(iii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 14(ग)(iv)	अनिर्णीत
16.	पैरा 14(ग)(v)	अनिर्णीत
17.	पैरा 14(घ)	अनिर्णीत
18.	पैरा 14(ड़)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15	अनिर्णीत
20.	पैरा 16	अनिर्णीत
21.	पैरा 17	अनिर्णीत
22.	पैरा 18	अनिर्णीत
23.	पैरा 19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1996

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13	अनिर्णीत
6.	पैरा 15(i)(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15(2)(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 15(4)(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत

12.	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
13.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(12(i)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(17)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(20)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
20.	पैरा 15(22)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
22.	पैरा 17	अनिर्णीत
23.	पैरा 20	अनिर्णीत
24.	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
25.	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 21(iii)	अनिर्णीत
27.	पैरा 21(iv)	अनिर्णीत
28.	पैरा 21(v)	अनिर्णीत
29.	पैरा 21(vi)	अनिर्णीत
30.	पैरा 21(vii)	अनिर्णीत
31.	पैरा 21(viii)	अनिर्णीत
32.	पैरा 21(x)	अनिर्णीत
33.	पैरा 21(xi)	अनिर्णीत
34.	पैरा 21(xii)	अनिर्णीत
35.	पैरा 21(xiii)	अनिर्णीत
36.	पैरा 21(xiv)	अनिर्णीत
37.	पैरा 21(xv)	अनिर्णीत
38.	पैरा 21(xvi)	अनिर्णीत
39.	पैरा 22	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2002

1.	पैरा 8	अनिर्णीत

2.	पैरा 9	अनिर्णीत
3.	पैरा 11	अनिर्णीत
4.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13(ख)(3)	अनिर्णीत
6.	पैरा 14	अनिर्णीत
7.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 19	अनिर्णीत
10.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
12.	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत
14.	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
15.	पैरा 26	अनिर्णीत
16.	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 27(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 27(घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा 28(2)(क)	अनिर्णीत
21.	पैरा 28(2)(ख)	अनिर्णीत
22.	पैरा 28(6)	अनिर्णीत
23.	पैरा 28(9)	अनिर्णीत
24.	पैरा 28(15)	अनिर्णीत
25.	पैरा 28(17)	अनिर्णीत
26.	पैरा 28(19)	अनिर्णीत
27.	पैरा 28(21)	अनिर्णीत
28.	पैरा 29	अनिर्णीत
29.	पैरा 30(1)	अनिर्णीत
30.	पैरा 30(2)	अनिर्णीत
31.	पैरा 30(10)	अनिर्णीत

32.	पैरा 30(12)	अनिर्णीत
33.	पैरा 30(13)	अनिर्णीत
34.	पैरा 30(ए)	अनिर्णीत
35.	पैरा 30(ए)(3)	अनिर्णीत
36.	पैरा 31	अनिर्णीत
37.	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
38.	पैरा 35(10)	अनिर्णीत
39.	पैरा 35(11)(क)	अनिर्णीत
40.	पैरा 35(11)(ख)	अनिर्णीत
41.	पैरा 35(11)(ग)	अनिर्णीत
42.	पैरा 35(11)(घ)	अनिर्णीत
43.	पैरा 35(11)(ड़)	अनिर्णीत
44.	पैरा 35(12)(क)	अनिर्णीत
45.	पैरा 35(12)(ख)	अनिर्णीत
46.	पैरा 35(13)(क)	अनिर्णीत
47.	पैरा 35(13)(ख)	अनिर्णीत
48.	पैरा 35(13)(ग)	अनिर्णीत
49.	पैरा 35(13)(घ)	अनिर्णीत
50.	पैरा 35(14)	अनिर्णीत
51.	पैरा 35(15)	अनिर्णीत
52.	पैरा 35(16)	अनिर्णीत
53.	पैरा 35(17)	अनिर्णीत
54.	पैरा 35(18)	अनिर्णीत
55.	पैरा 35(19)	अनिर्णीत
56.	पैरा 35(20)	अनिर्णीत
57.	पैरा 35(21)	अनिर्णीत
58.	पैरा 35(22)	अनिर्णीत
59.	पैरा 36(2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1.	पैरा 4(xv)(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा 4(xv)(ख)	अनिर्णीत

3.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 6(xxiv)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 6(xxvi)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 6(xxix)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 6(xxxv)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 6(xxxix)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 7(i to xii)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 8(i to iv)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 9(i)	आंशिक निर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1.	पैरा 5	अनिर्णीत	
2.	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
3.	पैरा 6.3	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6.4	अनिर्णीत	
5.	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	
7.	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	
9.	पैरा 10	अंशत निर्णीत	(शेष क्र०सं० 4,7,20,22 व 24 अनिर्णीत)
10.	पैरा 11	अनिर्णीत	
11.	पैरा 11.1	अनिर्णीत	
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	
13.	पैरा 14	अनिर्णीत	
14.	पैरा 15	अनिर्णीत	
15.	पैरा 16(i) व (ii)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 17	अनिर्णीत	
17.	पैरा 17(1, 2 व 3)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 18	अनिर्णीत	

(ण) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2014**

1.	पैरा 3	निर्णीत	
2.	पैरा 4	अनिर्णीत	(परिषद की रोकड़ बहियों का दिनांक 31.3.2014 तक समाधान/मिलान कर ₹3451189.82 व ₹415623.42 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए)
3.	पैरा 4.3	अनिर्णीत	(रोकड़ बही में ब्याज की राशियां दर्ज की जाए)
4.	पैरा 4.4	निर्णीत	(पैरा पुनः संशोधित प्रारूपित)
5.	पैरा 4.5	निर्णीत	(पैरा पुनः संशोधित प्रारूपित)
6.	पैरा 4.6	अनिर्णीत	
7.	पैरा 5	अनिर्णीत	
8.	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
9.	पैरा 6	निर्णीत	(पैरा पुनः संशोधित प्रारूपित)
10.	पैरा 7	अनिर्णीत	
11.	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
12.	पैरा 7.2	अनिर्णीत	
13.	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
14.	पैरा 8	अनिर्णीत	
15.	पैरा 9	अनिर्णीत	(₹53523 की वसूली सम्बन्धित लिपिक से की जाए)
16.	पैरा 10	अनिर्णीत	(श्री सुरेश पाल, पैन्शनर से ₹136319 की वसूली की जाए)
17.	पैरा 11	अनिर्णीत	
18.	पैरा 12	अनिर्णीत	
19.	पैरा 13	अनिर्णीत	
20.	पैरा 14	अनिर्णीत	
21.	पैरा 15	निर्णीत	(पैरा संशोधित पुनः प्रारूपित)
22.	पैरा 16	अनिर्णीत	
23.	पैरा 17	अनिर्णीत	(एकत्रित लेबर सैस ₹458864 को सम्बन्धित विभाग को जमा करवाया जाए)
24.	पैरा 18	अनिर्णीत	(₹356400 की वसूली की जाए)
25.	पैरा 19	अनिर्णीत	(₹2360 की वसूली की जाए)

26.	पैरा 20	अनिर्णीत	(₹24571 की वसूली की जाए)
27.	पैरा 21	अनिर्णीत	
28.	पैरा 21.1	अनिर्णीत	
29.	पैरा 22	अनिर्णीत	
30.	पैरा 22.1	अनिर्णीत	
31.	पैरा 23	अनिर्णीत	
32.	पैरा 24	अनिर्णीत	
33.	पैरा 25	अनिर्णीत	
34.	पैरा 25.1	अनिर्णीत	

31.3.2014 तक अनिर्णीत पैरे	260
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	20
योग	**280**
वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निर्णीत पैरे	5
31.3.2016 को अन्तशेष	**275**